न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 42/2018 (वाद)

दायर दिनांक – 09/04/2018

निर्णय दिनांक – 30/05/2019

अनवान

1– गोपीलाल उर्फ गोपु पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा
2– लक्ष्मणलाल पिता कालु कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा
3– धन्नीबाई विधवा कालु कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा
4– डालु पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा
5– चुना पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1– केशु पिता तुलछा कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा,
2– गणेशलाल पिता वरदु कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा
3– सोहनलाल पिता वरदु कुमावत निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा
4– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–: निर्णय :–

वादी जरिये अधिवक्ता के वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा के प्रस्तुत किया कि ग्राम सकरावास में आ.चाह संख्या 198 रकबा 00–03 बीघा है। स्व. कुशाल पिता रूपा ने अपनी जीवनकाल में अन्य भूमियों के साथ आ.चाह संख्या 198 में अपना हिस्सा वादी गोपीलाल के पक्ष में एक दानपत्र दिनांक 13/11/1975 में निष्पादित कराया एवं तत्काल दान की गई भूमियां व कुए का हिस्सा वादी को सिपूर्द कर दिया। वादी ने कब्जा प्राप्त कर लिया तब से वादग्रस्त भूमियों का खातेदार कृषक चला आ रहा है। पटवारी हल्का के द्वारा सहवन से कृषि भूमियों का नामान्तरकरण वादी संख्या 01 के नाम पर कर दिया गया जबकि उक्त चाह में स्व. कुशाल के बजाय वादी गोपीलाल के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित नही किया था जो न्यायालय आदेश से दिनांक 13/01/2017 को वादी के नाम पर कर दिया गया है किन्तु मौके पर वादी संख्या 01 अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

है। जिससे उक्त बात का पता नही चल सका एवं हाल ही वादी को अन्य कार्य के लिये नकले प्राप्त की गई, तब पता चला कि आ.चाह में वादीगण का हिस्सा गलत अंकित किया हुआ है जिससे वादीगण आ.चाह में अपने सही हिस्से का अंकन हेतु उक्त वाद घोषणा का प्रस्तुत कर रहे है। आ.चाह संख्या 198 में भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग द्वारा फई इख्तलाफ संख्या 13 से आ. चाह संख्या 198 कुशाल उदा तुलछा पिता रूपा के नाम पर 2/3 हिस्सा अंकित किया एवं उदा पिता घीसा के नाम पर 1/3 हिस्सा अंकित किया गया। आ.चाह संख्या 198 का गत भू माप की आराजी संख्या 380 थी एवं खसरा पत्रक में भी वर्तमान कृषक के रूप में कुशाल–उदा–तुलछा पिता रूपा के नाम पर आ.चाह संख्या 198 में 2/3 हिस्सा अंकित किया गया। इसी अंकन अनुसार भू सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी संवत् 2029–30 व जमाबन्दी संवत् 2030–33 में कुशाल उदा तुलछा पिता रूपा 2/3 हिस्सा व उदा पिता घीसा 1/3 हिस्सा अंकन था किन्तु इसके बाद जो जमाबन्दी में अंकन किया गया, उसमें कुशाल पिता रूपा, कालु–डालु–चुन्ना–गोपु पिता उदा के नाम पर 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया गया एवं तुलछा पिता रूपा के नाम पर 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया गया। जबकि कुशाल–उदा–तुलछा तीनों के नाम पर 2/3 हिस्सा अंकित था। जिससे प्रतिवादीगण को आ.चाह संख्या 198 में उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन को सही अंकन कराने बाबत् कहा गया तो प्रतिवादीगण ने टालमटोल कर कहा कि गलत अंकन हो गया तो उसका हम क्या करें, आप सही अंकन कराने के लिये कार्यवाही कराओं। हम सही अंकन नही करा सकते है। जिससे वादीगण के लिये उक्त वाद बाबत् आ.चाह संख्या 198 में अपना हिस्सा घोषित कराने के लिये वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। 2/3 हिस्से में रूपा के तीनों लडके कुशाल–उदा–तुलछा थे। जबकि संवत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी में अकेले तुलछा पिता रूपा के नाम पर 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया गया जबकि तुलछा का 1/3 हिस्सा ही नही था। राजस्व कर्मचारियों के पास तुलछा पिता रूपा के नाम पर 1/3 हिस्सा अंकन करने का कोई आधार नही था। इसके उपरान्त भी त्रुटिपूर्ण रूप से तुलछा के नाम पर 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया गया। जिससे तुलछा के वारिसान को प्रतिवादीगण बनाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष रूपा थे एवं रूपा का वंशवृक्ष वादपत्र में अंकित है। वादीगण संख्या 01 से लगायत 05 की ओर से आ.चाह संख्या 198 में 5/18 हिस्सा वादी गोपीलाल का है एवं वादी संख्या 02 से लगायत 05 का आ.चाह संख्या 198 में 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 2/9 हिस्सा है। जिससे प्रतिवादीगण के नाम पर 1/3 हिस्सा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

त्रुटिपूर्ण रूप से अंकन चला आ रहा है। वादीगण के नाम पर भी हिस्सा कम अंकित है। जिससे आ.चाह संख्या 198 में वादी संख्या 01 का 5/18 एवं वादी संख्या 02 से लगायत 05 का 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा फरमाई जावें। प्रतिवादी संख्या 04 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है अन्यथा प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्व कोई दाद इस वाद में नही चाही जा रही है। वादीगण का वाद हेतुक दिनांक 05/03/2018 को बमुकाम सकरावास उत्पन्न हुआ। जब वादीगण को उक्त गलत अंकन का पता चला एवं वादीगण ने प्रतिवादीगण को सही अंकन कराने के लिये कहा गया तब प्रतिवादीगण ने टालमटोल कर इन्कार कर दिया गया। तब से वादीगण का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि ग्राम सकरावास की आ.चाह संख्या 198 में गोपीलाल का 5/18 हिस्सा वादी संख्या 02 से लगायत 05 का 1/6 हिस्सा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्व कोई दाद इस वाद में नही चाही गयी है।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू-01 गोपीलाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान नक्शा ट्रेस प्रदर्श-01, वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श-02, भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग का फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा प्रदर्श-03, नामान्तरकरण संख्या 127 की नकल प्रदर्श-04, खसरा मिलान की प्रति प्रदर्श-05, भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग की जमाबन्दी प्रदर्श-06, जमाबन्दी संवत् 2030 से 33 की नकल प्रदर्श-07, जमाबन्दी संवत् 2038 से की प्रदर्श-08, दानपत्र (बकक्षीस की फोटोप्रति) प्रदर्श-09 के पेश किये गये।

वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रकरण में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना वाद सिद्व करने में सफल रहा है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
नेछवा

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम सकरावास की आ.चाह संख्या 198 में वादी संख्या 01 गोपीलाल को 5/18 हिस्से एवं वादी संख्या 02 से लगायत 05 को 1/6 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

30/5/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0 ए0 एस
राजस्व वाद संख्या :– 42/2018 वाद

वादीपक्ष :–
1– गोपीलाल उर्फ गोपू पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा
2– लक्ष्मणलाल पिता कालु कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा
3– धन्नीबाई विधवा कालु कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा
4– डालु पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा
5– चुना पिता उदा कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा

–: बनाम :–

प्रतिवादीपक्ष :–
1– केशु पिता तुलछा कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा
2– गणेशलाल पिता वरदु कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा
3– सोहनलाल पिता वददु कुमावत निवासी सकरावास, तह0–रेलमगरा
4– राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार रेलमगरा

दावा :– घोषणा
वादी की ओर से :– अधिवक्ता– जे0सी0 कुमावत
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता– –

में इस आशय में दिनांक 30/05/2019 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम सकरावास की आ.चाह संख्या 198 में वादी संख्या 01 गोपीलाल को 05/18 हिस्से वादी वादी संख्या 02 से लगायत 05 को 1/6 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकत किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 30/05/2019 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा